रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012025-260505
CG-DL-E-27012025-260505

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2025/माघ 1, 1946
No. 39] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2025/MAGHA 1, 1946

पर्यटन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 68(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यटन मंत्रालय, उप महानिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक और सहायक महानिदेशक/निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018, जहां तक कि वे उप महानिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक के पद से संबंधित है, को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यटन मंत्रालय में उप महानिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यटन मंत्रालय, उप महानिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मेट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, तथा वेतन मेट्रिक्स में स्तर वही होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इस पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता–** वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति– इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मेट्रिक्स में स्तर**	**चयन अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप महानिदेशक/ क्षेत्रीय निदेशक	12* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर –12 (78,800-2,09,200 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसमें अल्पकालीन संविदा भी सम्मिलित है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: (क) ऐसे सहायक महानिदेशक जो वेतन मेट्रिक्स (67,700-2,08,700/-रु.) में स्तर-11 में हो और जिन्होंने इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सुसंगत क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो।

टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के बारे में, जिन्होंने अपनी अर्हता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनकी सेवा अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिन्होंने ऐसी अर्हता या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी।

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में स्तर-11 (67,700-2,08,700/- रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखने वाले, अर्थात्: -

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री;

(ii) पर्यटन अथवा प्रचार या प्रशासनिक कार्य के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव, जिसमें से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

टिप्पण 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, वह प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचनाः	**भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) में सम्मिलित है: 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - **अध्यक्ष;** 2. सचिव (पर्यटन), पर्यटन मंत्रालय - **सदस्य;** 3. अपर सचिव (पर्यटन)/वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय - **सदस्य;** 4. संयुक्त सचिव/अपर महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय - **सदस्य;**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/12/2023-प्रशा.I(भाग I)]

ललिताम्बिगई के., उप सचिव

MINISTRY OF TOURISM

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2025

G.S.R. 68(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Tourism, Deputy Director General/Regional Director and Assistant Director General/Director, (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2018, in so for as they relate to the post of Deputy Director General/Regional Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director General/Regional Director, in Ministry of Tourism, namely:-

1. Short title and commencement**.--**(1) These rules may be called the Ministry of Tourism, Deputy Director General/Regional Director (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2025.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. **–** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered in contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
1	**2**	**3**	**4**
Deputy Director General/ Regional Director	12*(2025) *Subject to variation dependent on Workload.	General Central Service, *Group 'A',* Gazetted, Non-Ministerial.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200/).
Whether selection Post or non-selection post.	Age- limit for direct recruits.		Educational and other qualifications required for direct recruits.
5	**6**		**7**
Selection.	Not applicable.		Not applicable.
Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by	In case of the recruitment by promotion or by deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.

		various methods.	
8	**9**	**10**	**11**
Not applicable.	Not applicable.	Hundred Percent by promotion failing which by deputation including short term contract.	**Promotion:** (a)Assistant Director General in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700/-) with five years regular service in the grade; and (b)having successfully completed training in the relevant areas as prescribed by the competent authority. **Notes:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with juniors who have already completed such a qualifying or eligibility service. Deputation (including short- term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or autonomous body or statutory organization or public sector undertaking or recognized university or recognized research Institute. (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on regular basis in level-11 (Rs. 67700-208700/-) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing following educational qualifications and experience, namely: - (i) Bachelor degree from a recognised University or institute; (ii) Ten years' experience in the field of tourism or publicity or administrative work, out of which at least five years' experience shall be in the field of tourism in the Central Government or State Governments or the Union

			Territory Administrations or autonomous body or statutory organization or public sector undertakings or recognized university or recognized research institute. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract), including the period of deputation, in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.
If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.		
12	**13**		
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission- **Chairman;** 2. Secretary (Tourism), Ministry of Tourism - **Member;** 3. Additional Secretary (Tourism)/ Senior Economic	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.		

Adviser/ Director General, Ministry of Tourism - **Member;** 4. Joint Secretary/ Additional Director General, Ministry of Tourism- **Member.**			

[F. No. A-12018/12/2023-Admin.I(Part-I)]

LALITHAMBIGAI K, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.27 16:04:12 +05'30'